

21 $\frac{02}{2024}$

पत्रावली पेश हुई। उग्रय पक्ष उपस्थित। विरिण्डर
सम्भार तहसीलदार बाबतमाय ने फांसी नजर रिपोर्ट
2024/1877 दिनांक 20/02/2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत
की। उग्रय पक्ष द्वारा श्रावण धारा - 251 पर बहस सुनी।
रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्तु
आदेश दिनांक 27/02/2024 को पेश है।

50.00

27 $\frac{02}{2024}$

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा
न्या.सि.फ. कार्य... पत्रित कराने से
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
06/03/24... को पेश की जावे।

[Signature]

06 $\frac{03}{2024}$

पत्रावली पेश हुई। उग्रय पक्ष उपस्थित। वि उग्रय पक्ष
द्वारा श्रावण धारा - 251 पर मजिद बहस सुनी। उग्रय
पक्ष की बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्तु आदेश
दिनांक 12/03/2024 को पेश है।

50.00

12 $\frac{03}{2024}$

पत्रावली पेश हुई। उग्रय पक्षकारान उपस्थित। वकील
उग्रय पक्ष की बहस सुनी तथा बहस पूरे मगन किया गया।
पत्रावली में शामिल दस्तावेजों तथा रिपोर्ट तहसीलदार
का अवलोकन कर मगन किया गया। वकील उग्रय द्वारा
रिपोर्ट तहसीलदार बाबतमाय अनुसार वास्तु दर्ज कर
का निवेदन किया। वकील उग्रय द्वारा बहस के
कारण नौ गज दलीला से हम बहस ही रिपोर्ट अनुसार
न्यूनतम सरता प्रस्तावित होने वकील उग्रय का फांसी
वकील मोग्य होने से वकील उग्रय का फांसी
धारा - 251 का निर्णय सुपुल से विरवाया जानर खुला
न्यायालय की वजलास में सुनाया गया। पत्रावली
फैसल सुमार होने दर्ज वीरिण्डर से कम किया
जाकर शामिल दफतर है।

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
रायतभाटा (चिंताड़गाड़)